39/21

24/7/21 पत्रावली में अंकित टिप्पणी पर विचार किया। अधि. अभि. व रेलवे (उपखण्ड) रेलवे अभि. द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दि. 12/7/22 बाबत अतिक्रमण अवैध रूप से बनाये जाने से व्यावधान करने के सम्बन्ध में अधि. [illegible] को सूचना प्रेषित। प्रा. पत्र का अवलोकन किया। रेलवे अभि. के उक्त पत्र में वर्णित तथ्य तथा फोटो से अतिक्रमण की पुष्टि होने के कारण यह अपील सम्यक रूप से गुण दोष पर विचारित अधि. की ओर से मुख्य की सूचना रखने में नहीं होने पर भी अधि. के प्रा. पत्र सम्यक जानकारी के अभाव में ही मात्र अन्य अतिक्रमण अवैध रूप से बनाये जाने से व्यावधान करने का अनुरोध किया। विद्वान अधि. अधि. ने रेलवे अभि. के कथन को प्रा. पत्र 12.7.22 में वर्णित तथ्य का खण्डन नहीं किया तथा ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य अभिलेख उपस्थित किये। अतः समस्त हित में प्रा. पत्र दि. 12.7.22 (रेलवे) स्वीकार किया जाकर अवैध सार्वजनिक अवैध रूप से अतिक्रमण को जाकी रूप प्रा. अधिनियम [illegible] लेकर आदेश [illegible] दायित्व वापस से अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख प्रेषण किया जावे।

मुख्य नगर मजिस्ट्रेट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा